संख्या:11/2021/71बीपी/35-1-2021

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2021

विषयः बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग से सम्बन्धित वॉटर हार्वेस्टिंग चेकडैम परियोजना की शासनादेश सं.28/2018/101 बीपी/35-1-2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा रू. 2525.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1225.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1216.39 लाख का व्यय किया गया तथा शेष धनराशि रू.8.61 लाख समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना को पूर्ण करने हेतु शासनादेश सं.14/2019/62 बीपी/35-1-2019 दिनांक 31 मई, 2019 द्वारा रू. 1300.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1281.27 लाख का व्यय किया गया तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कुल मिलाकर रू. 2497.66 लाख का व्यय किया गया है तथा रू. 27.34 लाख की धनराशि व्यय करने हेतु अवशेष बचती है।

एतद्द्वारा परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू. 27.34 लाख (रूपये सत्ताइस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2018, तथा दिनांक 31 मई, 2019 तथा दिनांक 27 जनवरी, 2021 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 30 सितम्बर, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे उक्त दिनांक से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2022 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
5. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुदान सं. 40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-0483-चेकडैम का निर्माण (के.100/ रा.0 के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। प्रश्नगत मद में संलग्न पुर्नविनियोग आदेश संख्याः आरई-30/ई-5-07/दस-2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 के माध्यम से रू. 27.34 लाख स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं. ई-5-07(1)/दस-2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या:11/2021/71बीपी(1)/35-1-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- गार्ड फाईल।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in